न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— **27 / 2019 अपील सू.प्र.**

उनवान

नवीन जोशी आर.टी.आई. कार्यकर्ता निवासी जी—10, इन्द्रा मार्केट, भीलवाडा	**बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा
——अपीलार्थी	——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 20.05.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 29.03. 2019 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 14.02.2019 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 14.02.2019 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 08.04.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा द्वारा पत्रांक/सू.प्र./2019 दिनांक 30.04.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में अति. जिला कलक्टर भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार " अपीलार्थी को बिन्दु सं. 01 की सूचना निःशुल्क उपलब्ध करा दी गयी है। बिन्दु सं. 02, 03 की सूचना अस्पष्ट/ 03 की संधारित नही होने से स्थापना अनुभाग के पत्रांक/15530 दिनांक 14.03.2019 को जरिये डाक द्वारा भिजवायी गयी है। अपीलार्थी को निर्वाचन अनुभाग द्वारा अपने पत्रांक/81191 दिनांक 02.04.2019 को बिन्दु सं. 04,05,06 की सूचना सीधे ही भिजवायी गयी है। बिन्दु सं. 07 की सूचना अति. जिला कलक्टर (शहर) भीलवाडा के पत्रांक/स्था/2019/137 दिनांक 02.04.2019 को यह अंकन करते हुए कि उक्त बिन्दु सं. 07 में चाही गयी सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) एवं 11(1) के तहत परपक्षीय होने से अदेय है। उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की कोई सूचना अपेक्षित नही होने से अपील अपीलार्थी निरस्त करायी जावे।"

प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी ने बताया कि बिन्दु सं. 6 में बिलों की प्रतियां प्राप्त नहीं हुयी एवं बिन्दु सं. 03 की पत्रावली संधारित नही होने से एवं बिन्दु सं. 07 की सूचना परपक्षीय होने से नही दी गयी। जबकि बिन्दु सं. 07 की सूचना परपक्षीय नहीं हैं। अतः इनकी प्रतियां दिलायी जावे।

अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) एवं 11(1) के तहत परपक्षीय होने से अदेय है। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान् को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 20.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा